

पत्रावली प्रशासन कार्यों के संग कमिशन-2021

में पेश होनी थी, चूंकि तत्काल प्रभाव के प्रभारी अधिकारी अलग होने से पत्रावली नहीं भंगवाई गई। पत्रावली नहीं भिजवाने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 7/3/22 को पेश हो।

7/3/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28/4/22 को पेश हो।

8/4/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/6/22 को पेश हो।

29.6.22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 25/8/22 को पेश हो।

25/08/22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप. लखन आदेशों की अवधि आगामी पेशी मारीस रड लखई जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

01/12/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24/1/23 को पेश हो।

24/01/23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप. पत्रावली पूर्व आदेशों की पालना में आईन्दा दिनांक 15/02/23 को पेश हो।

15/02/23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप. चूड़ बूलवाद को जमानत देवकी/अदम हाजरी के शवास्मि कर दिया गया है। जो इस आवेदन को जमाने का अर्थ को अर्थ नहीं है। इस आवेदन की कार्यवाही इसी सतर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार ही कर दी गई है। बूलवाद के अंतर्गत है।